झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

(लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा)

निबंधन सूचना

पत्रांकः– **SLD–24/2022–स०सु०**......318 रॉंची, दिनांक–26/07/2022

झारखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना औसतन 10 व्यक्ति अपनी जान गंवा देते है जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के कारण होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के आलोक में यथानिर्धारित व्यवसायिक वाहनों में गति नियंत्रण हेतु उपकरण अधिष्ठापित करना अनिवार्य है, परन्तु इसका समुचित क्रियान्वयन दृष्टिगत नहीं होने तथा हाल ही में पाकुड़ में हुई भीषण सड़क दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में Supreme Court Committee on Road Safety के पत्रांक 49/CORS/2021(Vol.7), दिनांक 22.04.2022 में अन्य बिन्दुओं के साथ ही यह भी निर्देश प्राप्त है कि, "...the state must also ensure that Speed Limit Device are fixed in all commercial vehicles to prevent occurrence of such accidents in future...".

2. परिवहन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 341, दिनांक 18.02.2016 कंडिका–03 में उल्लेखित है कि वाहनों में लगाये जानेवाले गति नियंत्रक उपकरण (SLD) परिवहन विभाग, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित व संसूचित गति नियंत्रक विनिर्माताओं द्वारा लगाये गये ही मान्य होंगे। परन्तु अब तक झारखण्ड राज्य में किसी भी SLD कंपनी संस्था को अधिकृत अनुमोदित नहीं किया गया है। वर्त्तमान में वाहनों में किसी भी कंपनी के गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाते है जिससे उचित गुणवत्ता के नहीं होने के कारण ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करते और सड़क दुर्घटना को को कम करने में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते है। इनकी गुणवता में कमी पाये जाने पर भी राज्य सरकार के समक्ष इनका कोई अभिलेख/बैंक गारंटी आदि नहीं होने के कारण इन पर कोई कार्रवाई सम्भव नहीं हो पाती है।

3. उपर्युक्त के आलोक में Original Equipment Manufacturer (OEM) गति नियंत्रक विनिर्मात्ताओं को नियमानुसार यथानिर्धारित वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (SLD) अधिष्ठापित करने के निमित्त निबंधित/अनुमोदित करने हेतु निम्नलिखित अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

i. वैध टाईप एप्रुवल सर्टिफिकेट।

ii. वैध कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन (COP)।

iii. वाहन निर्माता कम्पनी से Original Equipment Manufacturer (OEM) से संबंधित प्राप्त अनुभव/कार्यादेश।

iv. निबंधन शुल्क के रूप में रु10,000/– (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट (झारखण्ड रोड सेफ्टी फण्ड के नाम से)।

v. रु 10 लाख (दस लाख) की बैंक गारंटी, संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), लीड एजेंसी, इंजीनियर्स हॉस्टल–II, धुर्वा गोलचक्कर, रॉंची, परिहवन विभाग, झारखण्ड के नाम से)।

vi. विहित प्रपत्र में संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), लीड एजेंसी, इंजीनियर्स हॉस्टल–II, धुर्वा गोलचक्कर, रॉंची, परिहवन विभाग, झारखण्ड के नाम से आवेदन।

vii. विहित प्रपत्र में विनिर्माता का शपथ पत्र।

viii. Management Information System (MIS)

ix. SLD Device sample

x. आवेदन हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र/दिशा–निर्देश में उल्लेखित अन्य अभिलेख/सूचनाएं।

4. प्रस्तुत आवेदन के सम्यक परीक्षणोपरांत गति नियंत्रक उपकरण (SLD) लगाये जाने हेतु विनिर्मात्ता को राज्य में निबंधित किया जायेगा तथा कम्पनी के अनुमोदन/निबंधन की सूचना सभी हितधारकों को प्रेषित की जायगी। झारखण्ड में निबंधित विनिर्मात्ता को ही राज्य के यथानिर्धारित वाहनों में नियमानुसार SLD लगाने की अनुमति होगी, इससे इत्तर किसी भी कंपनी के SLD को झारखण्ड सरकार के व्हीकल फिटनेस में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

5. विहित प्रपत्र एवं दिशा–निर्देश आदि का अवलोकन विभागीय वेबसाईट http://jhtransport.gov.in पर किया जा सकता है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त
(सड़क सुरक्षा),
लीड एजेन्सी, सड़क सुरक्षा
परिवहन विभाग, झारखण्ड